साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्य परिषद् की 9वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2018 का

कार्यवाही विवरण

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 धारा 29(1) के प्रावधान अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 9वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1	प्रो. (डॉ.) यज्ञेश्वर एस. शास्त्री कुलपति, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन संस्कृति विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग (प्रतिनिधि)	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग (प्रतिनिधि)	सदस्य
5	प्रो. (डॉ.) सागरमल जैन, शाजापुर (साधारण परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य)	सदस्य
6	प्रो. (डॉ.) एस. आर. भट्ट, नई दिल्ली (साधारण परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य)	सदस्य
7	श्री अदिति कुमार त्रिपाठी कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	सदस्य-सचिव

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 29 (3) के प्रावधान अनुसार कार्य परिषद् के सदस्यों में से आधे सदस्यों से अधिक गणपूर्ति होने से कोरम पूर्ण है।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

बैठक का एजेण्डा विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं बैठक के सदस्य-सचिव द्वारा पढ़ कर सुनाया गया। एजेण्डा पर बिंदुवार चर्चा के पूर्व ही सदस्य प्रो. (डॉ.) एस. आर. भट्ट ने निम्नांकित बिंदु Point of order के तहत उठाये :–

(अ) बिन्दु निम्नानुसार है:–

1. कुलपति के अधीनस्थ कुलसचिव कार्य करेंगे।
2. बैठकों के लिये यात्रा व्यय का भुगतान 7 (सात) दिवस में किया जाये।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों एवं निर्देशों का पालन किया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. बिन्दु क्रमांक (1) के संबंध में साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 13 (1) से (6) जो कुलपति के संबंध में है तथा धारा 15 (1) से (4) जो कुलसचिव के संबंध में है का पालन सुनिश्चित किया जाये।
2. यात्रा व्यय का देयक नियमानुसार पाये जाने पर 7 दिवस में भुगतान किया जाये।
3. बिन्दु क्रमांक (3) हेतु साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्वरूप को देखते हुये यदि इसकी अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों से लघुतर हैं तो उन पृथक–पृथक प्रावधानों को सूचीबद्ध किया जाकर पूर्ण विचार किया जाये तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाये।

(ब) उपरोक्त Point of order पर विचार करने के पश्चात् एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा 1: कार्य परिषद् की आठवीं बैठक 28 जुलाई 2017 के निर्णय का अनुमोदन।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से बैठक दिनांक 28 जुलाई 2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा 2: कार्य परिषद् की आठवीं बैठक 28 जुलाई 2017 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

निर्णय : कार्य परिषद् को आठवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन की स्थिति से कार्य परिषद् को अवगत कराया गया।

कार्य परिषद् द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों एवं पालन की सीमा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1. एजेण्डा क्रमांक 3 (1) पर निर्णय में उल्लेखित बात चर्चा में नहीं आयी थी इसके बावजूद भी कार्यवाही विवरण में उक्त लेखित किये जाने पर कार्य परिषद अप्रसन्नता व्यक्त करती है।

2. एजेण्डा क्रमांक 19 (3) में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो रिकार्ड हुआ तथ्यात्मक नहीं है, इसे हटाया जाता है। उक्त निर्णय पर कोई सहमति नहीं है और यह वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ शर्त के रूप में रखा जाना आपत्तिजनक है।

एजेण्डा 3 : कार्य परिषद् की पूर्व बैठक पश्चात् विश्वविद्यालय की गतिविधियों से कार्य परिषद् को अवगत कराया जाना।

निर्णय : कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत हुई।

एजेण्डा 4: साँची विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु कार्य परिषद् सदस्यों के नामांकन पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, 2012 की धारा 34(1)(दो) के प्रावधान अनुसार कार्य परिषद् के निम्न तीन सदस्यों के नाम साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय वित्त समिति सदस्य के लिये निर्दिष्ट किये जाते हैं :-

1. अपर मुख्य सचिव, संस्कृति विभाग के नाम निर्देशिती,
2. प्रो. डॉ. एस. आर. भट्ट, नई दिल्ली,
3. कुलसचिव, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा 5: विद्या परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत विद्या परिषद् की अनुशंसाओं पर निर्णय लिया गया -

1. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापना के उद्देश्यों, विश्वविद्यालय में संचालित पीएचडी/एमफिल/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय अनुसंधान हेतु

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

प्रयोगशालाओं के प्रयोग, रोगियों से सम्पर्क, पुरानी तथा नवीन औषधियों से अद्यतन आदि उद्देश्य के लिये साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एवं पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल के मध्य अनुबंध संपादन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योग विभाग के Board of Studies (BOS) के सुझाव अनुसार एम.ए./ एम.एस-सी. पाठ्यक्रम का नाम "Master of Yoga & Holistic Health (MYHH)" के स्थान पर "Master in Yogic Science" (योग विज्ञान) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग द्वारा तैयार संशोधित संस्कृत प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप को अनुमोदित किया जाता है। ***परिशिष्ट-'अ'***

4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक शिक्षा में M.A., M.Phil., Ph.D. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने एवं वैकल्पिक शिक्षा में M.A., M.Phil., Ph.D. पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु Board of Studies गठन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. पी-एच.डी. शोधार्थियों के पंजीयन तिथि तथा पंजीयन क्रमांक निर्धारण :-
   a. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिनांक से पी-एच.डी. हेतु पंजीकृत(अंतरिम) मान्य किया जाए।
   b. पी-एच.डी. पंजीयन का अनुमोदन, नियमानुसार सक्षम समिति (वर्तमान नियमानुसार स्कूल रिसर्च कमेटी) से प्राप्त होने व पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात् पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा तथा पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाए।
   c. नामांकन (Enrolment Number) तथा पंजीयन क्रमांक (Registration Number) एक ही रखा जाए।

6. सत्र 2018-19 के अकादमिक कैलेंडर का अनुमोदन किया जाता है। ***परिशिष्ट–'दो'***

7. विश्वविद्यालय के नये नियमों प्रव्रजन प्रमाण-पत्र नियमावली, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र नियमावली, चरित्र प्रमाण-पत्र नियमावली व दीक्षांत प्रमाण-पत्र नियमावली तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्राविधिक आधार पर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया जाता है।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

8. मेधावी छात्र पारितोषिक पदक प्रदाय किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि:-

a. रू. 1.00 लाख (एक लाख) की राशि कुलपति डॉ. यज्ञेश्वर शास्त्री द्वारा दिये गये। इसे सावधि खाते में जमा किया जाये। इसकी ब्याज की राशि से विश्वविद्यालय के संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्क्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक अर्जित कर मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वर्तमान सत्र से ही डॉ सुनंदा यज्ञेश्वर शास्त्री संस्कृत (स्वर्ण) पदक प्रदान किया जाए तथा डॉ. (प्रो.) सुनंदा यज्ञेश्वर शास्त्री की स्मृति स्वरूप एक व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष आयोजित की जाये, इस हेतु राशि रू. राशि रू. 1.00 (राशि रू. एक लाख) देने की घोषणा कुलपति डॉ. (प्रो.) यज्ञेश्वर शास्त्री द्वारा की गयी है इस राशि को सावधि में जमा किया जाये। उसके ब्याज से उक्त आयोजन किये जाये। कार्य परिषद द्वारा उक्त दोनों प्रयोजनों के लिये कुलपति डॉ. (प्रो.) यज्ञेश्वर शास्त्री का आभार प्रकट किया गया।

b. विश्वविद्यालय के वैदिक स्नातकोत्तर पाठ्क्रय में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक अर्जित कर मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वर्तमान सत्र से ही श्रीमती सरस्वती एवं श्री रामकृष्ण नारायण स्वामी वैदिक (स्वर्ण) पदक प्रदान किया जाए। कार्य परिषद द्वारा उक्त हेतु आभार प्रदर्शित किया गया। इस हेतु श्री स्वामी द्वारा रूपये एक लाख (1 लाख) की राशि प्रदत्त की गयी है। जिसे सावधि में जमा किया जाये।

c. स्वर्ण पदक हेतु राशि विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र पारितोषिक मद अंतर्गत स्थायी कॉर्पस फंड के रूप में सावधि जमा खाता में रख कर प्राप्त ब्याज से स्वर्ण पदक हर वर्ष दिया जाए।

d. इस वर्ष के स्वर्ण पदक हेतु राशि मेधावी छात्र पारितोषिक मद से पृथक राशि से प्रदान की जाएगी।

9. **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

1. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में आमंत्रण (संविदा)/Deputation आधार पर नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित प्राध्यापक को कॉलम (3) में उल्लेखित विभाग में, कॉलम (4) पर उल्लेखित पद पर सेवाएं देने की अनुशंसा की जाती है:-

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

क्र.	प्राध्यापक	विभाग	अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रो. गोदावरी मिश्रा	भारतीय दर्शन विभाग	प्राध्यापक
2.	प्रो. ओ. पी. बुधोलिया	अंग्रेजी विभाग	प्राध्यापक
3.	प्रो. एम.के.श्रीधर	योग एवं आयुर्वेद विभाग	सह-प्राध्यापक
4.	डॉ. देवीदत्त अरविंद महोपात्रा	Strategic Studies विभाग	सह-प्राध्यापक
5.	डॉ. डिऑन ऑलिवर पीपुल्स	बौद्ध-अध्ययन विभाग	सह-प्राध्यापक

2. सेवा निवृत्ति के मामले में पेंशन पेमेंट ऑर्डर के आधार पर मानदेय व पद का निर्धारण किया जाए। संबंधित पदों के वेतनमान के न्यूनतम पर समेकन कर वेतन निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया।
3. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्वीकृत पद संरचना में प्रोफेसर पद एवं वेतन पर इंडोलॉजी, साईनोलॉजी के साथ भारतीय एवं बौद्ध दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डॉ. कोनरॉड एल्स्ट को अंतर्राष्ट्रीय विद्वान के रुप में आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। इन्हें वेतन भारतीय रूपयों में प्रोफेसर के समरूप दिये जाने का निर्णय लिया।
4. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय पद संरचना में स्वीकृत ग्रंथपाल के पद के लिये विश्वविद्यालय में प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम प्रावधान अनुसार वाल्मी से सेवानिवृत्त ग्रंथपाल श्री एन. के. शर्मा की अनुशंसा की जाती है। जिनका वेतन निर्धारण भी कण्डिका 2 के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया।

एजेण्डा 6: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाओं के अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक की कार्योत्तर स्वीकृति।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाओं के अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक के चयन हेतु की गई प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 7: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित लेखाओं का अवलोकन।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित लेखाओं का अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया गया है।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा 8: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट प्रावधान राज्य शासन को प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट प्रावधान हेतु आवश्यक राशि रू. 14,271/- लाख का मांग मध्यप्रदेश शासन से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ***परिशिष्ट-'तीन'***

एजेण्डा 9 : विश्वविद्यालय में नर्स पद पर म.प्र. शासन द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि :-

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार दिनांक 07/06/2016 से राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं, सेवाओं की पारस्परिक सापेक्षता आदि पर समग्र विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/भोपाल गैस राहत/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/श्रम विभाग के स्टॉफ नर्स पदों का वेतनमान 5200-20200+2400 के स्थान पर 5200-20200+2800 दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत नर्स पद का वेतनमान 5200-20200+2400 के स्थान पर 5200-20200+2800 दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजा जाए।

एजेण्डा 10: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय क्रय प्रक्रिया नियम में उपभोक्ता/थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के कारण क्रय प्रक्रिया नियम की कंडिकाओं में संशोधन पर विचार।

निर्णय : 1. कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रचलित क्रय प्रक्रिया एवं नियम, 2014 की निम्न कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र.	कण्डिका / उपकण्डिका	वर्तमान प्रावधान / नियम	संशोधित
01	3 (अ) (1)	**(अ) तकनीकी समिति का गठन :** (1) सामग्री क्रय करने वाली शाखा, क्रय स्वीकृति देने वाले अधिकारी से तकनीकी समिति का गठन करायेगी। इस समिति में संबंधित शाखा के वरिष्ठ तकनीकी	**(अ) तकनीकी समिति का गठन :** (1) विश्वविद्यालय में सीमित निविदा प्रणाली, खुली निविदा प्रणाली एवं मध्यप्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से क्रय की जाने वाली

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

		विशेषज्ञों के साथ–साथ विश्वविद्यालय के बाहर का कोई सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ भी सदस्य रखना यथासंभव सुनिश्चित किया जाये।	सामग्री क्रय करने हेतु तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा। जहाँ सामग्री का क्रय एकल निविदा प्रणाली से किया जाये, वहाँ संबंधित मांगकर्ता शाखा द्वारा सामग्री के तकनीकी विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। तकनीकी समिति में संबंधित शाखा के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। कुलसचिव द्वारा सामग्री / सेवाओं की विशिष्टता / विशेषता के आधार पर आवश्यकतानुसार समिति में विश्वविद्यालय के बाहर का कोई सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है। • **विश्वविद्यालय में क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु तकनीकी समिति** : उक्त समिति में उपकुलसचिव अध्यक्ष होंगे तथा कुलसचिव द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के 02 अधिकारी सदस्य एवं मांगकर्ता / क्रयकर्ता शाखा प्रभारी सदस्य सचिव होंगे। • **निर्माण एवं खरीदी कार्य हेतु तकनीकी प्राक्कलन समिति का गठन** : उक्त समिति में कार्यपालन यंत्री अध्यक्ष होंगे तथा कुलसचिव द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के 02 अधिकारी / सहायक यंत्री सदस्य एवं निर्माण / खरीदी कार्य हेतु तकनीकी प्राक्कलन निर्धारण करने वाली शाखा का सहायक यंत्री सदस्य सचिव होंगे। • **निर्माण संबंधी तकनीकी कार्य हेतु विशिष्ट समिति** : किन्हीं विशेष विशिष्टियों वाले सामान / सेवाओं को क्रय / उपयोग के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट समिति का गठन किया जा सकेगा। तथा इसी प्रकार निर्माण संबंधी कार्यो के लिये एक सक्षम

			समिति गठित की जावेगी, जिसमें कम से कम एक सदस्य संबंधित कार्य का विषय विशेषज्ञ, जो कि किसी बाहरी संस्था का होगा, को समिति में रखा जायेगा। यह कमेटी राशि रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत के कार्यो के लिये होगी।
02	3 (ब)	**(ब) क्रय समिति का गठन :** क्रय समिति क्रय प्रक्रिया में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत कार्य करेगी। साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कार्यालयीन वस्तुओं या वस्तुओं के समूह जहाँ प्रतिवर्ष 25000/– रूपये या उससे अधिक का क्रय किया जाता है, के लिए एक क्रय समिति गठित होगी। विश्वविद्यालय के लिए क्रय समिति दो स्तर पर होगी। टीप : 1. कम्प्यूटर व सह उपकरणों के क्रय हेतु समिति में रा.अ.आ. ब्यूरो के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाये।	**(ब) क्रय समिति का गठन :** क्रय समिति क्रय प्रक्रिया में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत कार्य करेगी। साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कार्यालयीन वस्तुओं या वस्तुओं के समूह जहाँ सीमित निविदा प्रणाली, खुली निविदा प्रणाली से क्रय किया जाता है, के लिए एक क्रय समिति गठित होगी। विश्वविद्यालय के लिए क्रय समिति दो स्तर पर होगी। टीप : 1. कम्प्यूटर व सह उपकरणों के क्रय हेतु समिति में कुलसचिव द्वारा आवश्यकतानुसार सदस्य के रूप में केन्द्र/राज्य शासन/ संचालनालय /उपक्रम के अधिकारी/विषय विशेषज्ञ को नामांकित/आमंत्रित किया जा सकता है।
03	4	**4. क्रय हेतु निविदा प्रणालियां :** क्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य व प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रणाली लागू होगी : **(अ) एकल निविदा प्रणाली :** जहाँ रूपये 5000/– तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना निविदा बुलाये भावपत्र लेकर भी क्रय किया जा सकेगा। यदि वस्तु संपातिक प्रकृति (proprietary) की है, वहाँ भी इसी पद्धति से क्रय किया जा सकेगा। सामग्री के proprietary होने का निर्धारण क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा। **(ब) सीमित निविदा प्रणाली :** जहाँ क्रय रूपये 5,000/– से अधिक है किन्तु रूपये 25,000/– से अधिक नहीं है, वहाँ सीमित निविदा पद्धति से क्रय का नमूना देकर निर्माता अथवा उनके प्रतिनिधियों से	**4. क्रय हेतु निविदा प्रणालियां :** क्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य व प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रणाली लागू होगी : **(अ) एकल निविदा प्रणाली/बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय :** 1. जहाँ रूपये 5000/– तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना कोटेशन या निविदा बुलाये क्रय किया जा सकेगा। 2. जहाँ रूपये 5000/– से अधिक और 25000/– तक की एक वस्तु का क्रय हो या वस्तुओं के समूह का क्रय हो, बिना निविदा बुलाये भावपत्र/कोटेशन लेकर भी क्रय किया जा सकेगा। 3. एकल निविदा प्रणाली–

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

		सीधा सम्पर्क कर क्रय किया जा सकता है। ऐसे निर्माताओं की एक अद्यतन सूची विश्वविद्यालय अपने पास रखेगा। ऐसी सूची L.U.N. या D.G.S. & D. से भी प्राप्त की जा सकती है। **(स) खुली निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 25,000/– से अधिक मूल्य का है चाहे एक वस्तु या वस्तुओं के समूह का हो, खुली निविदा बुलाकर ही क्रय किया जायेगा। इसे एक या दो प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निविदा बुलाई जा सकेगी। रूपये 10,00,000/– से अधिक मूल्य की निविदाएं प्रादेशिक स्तर के अतिरिक्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। निविदाएं निविदा अवधि तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी जारी की जायेगी।	निम्नलिखित परिस्थितयों में एकल निविदा से क्रय किया जा सकता हैः– • यह प्रयोक्ता विभाग/संस्था की जानकारी में है कि केवल एक फर्म विशेष ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है। • आपात स्थिति में किसी अपेक्षित माल का विशेष स्त्रोत से खरीदना आवश्यक है और ऐसे निर्णय का कारण रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के क्रय हेतु एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी (Next Higher Authority) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। • मशीन या अतिरिक्त पुर्जो का मानकीकरण उपकरणों के वर्तमान सेटो के अनुकूल करने के लिए (तकनीकी समिति की सलाह/अनुशंसा पर और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर) अपेक्षित मद को केवल किसी चुनी हुई फर्म से ही खरीदा जा सकता है। • यदि वस्तु संपातिक प्रकृति (proprietary) की है, वहाँ भी इसी पद्धति से क्रय किया जा सकेगा। सामग्री के proprietary होने का निर्धारण क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा। • एकल स्त्रोत से क्रय करने से पहले क्रयकर्ता शाखा प्रभारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में औचित्य वस्तु प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगाः– (1) मेसर्स........................... द्वारा इच्छित माल का विनिर्माण किया गया है। (2) निम्नलिखित ....कारणों से कोई अन्य make या model स्वीकार्य नहीं

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

			है। (3) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति (क्रयकर्ता शाखा प्रभारी/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर) **(ब) सीमित निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 25,000/– से अधिक है किन्तु रूपये 5,00,000/– से अधिक नहीं है, वहाँ केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा से क्रय का नमूना देकर निर्माता अथवा उनके प्रतिनिधियों अथवा स्थानीय विक्रेता से सीधा सम्पर्क कर क्रय किया जा सकता है। ऐसे निर्माताओं की एक अद्यतन सूची विश्वविद्यालय अपने पास रखेगा। ऐसी सूची L.U.N. या D.G.S. & D. से भी प्राप्त की जा सकती है। जहाँ क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये 01 लाख से अधिक किन्तु रूपये 05 लाख से अधिक नहीं है, Empanelment के माध्यम से भी क्रय किया जा सकता है। **(स) खुली निविदा प्रणाली** : जहाँ क्रय रूपये 05 लाख से अधिक मूल्य का है चाहे एक वस्तु या वस्तुओं के समूह का हो, खुली निविदा बुलाकर ही क्रय किया जायेगा। इस हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाकर निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। रूपये 10,00,000/– से अधिक मूल्य की निविदाएं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। निविदाएं निविदा अवधि तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी जारी की जायेगी।
04	4 (7)	**4. निविदा प्राप्ति की पद्धति :** **(7) सुरक्षा निधि** : केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसके	**4. निविदा प्राप्ति की पद्धति :** **(7) सुरक्षा निधि** : केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

<table>
<tr><td></td><td></td><td>लिए आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ क्रय मूल्य का कम से कम 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। सफल निविदाकारों की सुरक्षा निधि रोककर शेष की वापस लौटाई जानी चाहिए। प्रदेश की जो उत्पादक इकाई लघु उद्योग निगम और D.G.S. & D. में इस हेतु पंजीकृत है, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने से छूट प्राप्त होगी। प्रतिभूति राशि जमा कराने के सम्बंध में नगद को छोड़कर विश्वविद्यालय जो प्रक्रिया तय करेगा, वह मान्य होगी।
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा
एक–प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
दो–प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।</td><td>प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ क्रय मूल्य का कम से कम 2 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। सफल निविदाकारों की सुरक्षा निधि रोककर शेष की वापस लौटाई जानी चाहिए। प्रदेश की जो उत्पादक इकाई लघु उद्योग निगम और D.G.S. & D. और मध्यप्रदेश शासन से मान्यता संस्थाओं में इस हेतु पंजीकृत है, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने से छूट प्राप्त होगी। प्रतिभूति राशि जमा कराने के सम्बंध में नगद को छोड़कर विश्वविद्यालय जो प्रक्रिया तय करेगा, वह मान्य होगी।
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा
एक–प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
दो–प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।</td></tr>
<tr><td>05</td><td>11</td><td>भण्डार क्रय नियमों में छूट : यदि किसी मामले में विश्वविद्यालय की आवश्यकता, लोक हित में इन नियमों का पालन करने में छूट प्राप्त की जाना वॉंछनीय प्रतीत हो तो ऐसा प्रस्ताव उचित माध्यम से विश्वविद्यालय कार्य परिषद् सहमति से प्राप्त की जा सकेगी।</td><td>भण्डार क्रय नियमों में छूट : यदि किसी मामले में विश्वविद्यालय की आवश्यकता, लोक हित में इन नियमों का पालन करने में छूट प्राप्त की जाना वॉंछनीय प्रतीत हो तो ऐसा प्रस्ताव उचित माध्यम से विश्वविद्यालय कार्य परिषद् सहमति से प्राप्त की जा सकेगी।
क्रय नियमों के प्रावधानों पालन से सक्षम प्राधिकारी को एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत निम्नानुसार छूट रहेगी:–
<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>विवरण</th><th>अधिकृत प्राधिकारी</th></tr>
<tr><td>01</td><td>रूपये 01 लाख तक</td><td>कुलसचिव</td></tr>
<tr><td>02</td><td>रूपये 01 लाख से अधिक एवं रूपये 10 लाख तक</td><td>कुलपति</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2. **विश्वविद्यालय में प्रयुक्त उपकरणों के क्रय/रखरखाव के संबंध में।**

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के डिजिटल, तकनीकी उपकरण तथा सॉफ्टवेयर का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों में होता है। इन उपकरणों/सॉफ्टवेयर की मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण एवं Upgradation का कार्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है। यह उपकरण उच्च गुणवत्ता एवं उत्कृष्ट कंपनियों के होने के कारण महंगे भी हैं अतः इनकी मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण एवं Upgradation का कार्य विनिर्माता अथवा निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से करवाये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार कार्य प्रक्रियाओं का पालन किया जावेगा :–

1. विश्वविद्यालय के उपकरण एवं सॉफ्टवेयर संबंधी अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/विशेष मरम्मत कार्य विनिर्माता एवं अधिकृत संस्था/स्थानीय सर्विस सेंटर/अधिकृत विक्रेता के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलसचिव की स्वीकृति उपरांत सीधे कराया जा सकेगा।
2. रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख केवल) तक के संबंधित कार्य विनिर्माता की किसी भी अधिकृत संस्था से कराये जा सकते हैं। रूपये 1,00,000 से अधिक के कार्य विनिर्माता से सीधे अथवा विनिर्माता द्वारा विश्वविद्यालय के लिए विशेष रूप से नामांकित अधिकृत संस्था से कराया जा सकता है।
3. विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यों के लिए कभी–कभी पूर्ण अथवा आंशिक अग्रिम की भी मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को दृष्टिगत तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की स्वीकृति उपरांत ऐसी स्थितियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। जिससे कार्य सुचारू एवं समयसीमा में किया जा सके तथा विश्वविद्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान भी उत्पन्न न हो।

एजेण्डा 11 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रचलित/भविष्य में प्रस्तावित विद्युत संबंधी कार्यों हेतु मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के उपक्रमों यथा विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रचलित कार्य प्रक्रिया को अंगीकृत करने पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में विद्युत संबंधी कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्याल

उपक्रम विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी लिमिटेड के प्रभावशील मेन्यूअल (कार्य नियमावली) दर अनुसूची (एस.ओ.आर) आदि को साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अंगीकृत की किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 12 : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के परिवीक्षाधीन शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारण पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत SUBIS SERVICES (General Condition of Services) Rules, 2014 की कंडिका 08(6) के प्रावधान अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्त परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवीक्षा सेवाकाल पर विचार एवं विचारोपरांत स्थायीकरण की अनुशंसा प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

<u>शैक्षणिक पदों हेतु समिति</u>

1	**प्रो0 विजय बहादुर सिंह**	अध्यक्ष
2	**प्रो0 दिलीप चारण, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, गुजरात**	सदस्य
3	म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी अधिकारी	सदस्य
4	कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य-सचिव

<u>गैर-शैक्षणिक पदों हेतु समिति</u>

1	कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल	अध्यक्ष
2	मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अवर सचिव अथवा उच्च श्रेणी का एक अधिकारी	सदस्य
3	संस्कृति संचालनालय का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट : 1. उक्त समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होगा। समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होने पर अन्य शासकीय संस्थान के एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सदस्य नामांकित किया जाएगा।

2. स्थाईकरण हेतु कुलपति को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

2. उक्त समितियों की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को कुलपति के अनुमोदन उपरांत कुलसचिव द्वारा स्थायीकरण के आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा 13: ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर, इन्दौर को ''मानव कल्याण के लिये धर्म'' संगोष्ठी के आयोजन हेतु शासन द्वारा सिंहस्थ मद में प्रदत्त राशि के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शेष राशि दिये जाने पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. ''मानव कल्याण के लिये धर्म'' संगोष्ठी मध्यप्रदेश शासन का गरिमामय आयोजन था।
2. ''मानव कल्याण के लिये धर्म'' संगोष्ठी आयोजन के व्यय हेतु मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा राशि रु. 699.00 लाख उपलब्ध करायी गई।
3. ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर इन्दौर से आवश्यक व्यवस्थाओं का वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त कर दरों का प्रशासकीय अनुमोदन माननीय संस्कृति मंत्री जी से प्राप्त किया गया।
4. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय वित्तीय अधिकार परिनियम, 2014 की कंडिका 2.B.1 के नियमों के प्रावधान अनुसार कार्य परिषद् द्वारा साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा ''मानव कल्याण के लिये धर्म'' आयोजन हेतु ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर, इन्दौर के आरक्षण, लाईट, साउण्ड, एल.ई.डी., भोजन आदि व्यवस्था हेतु की गई प्रक्रिया एवं व्यवस्था पर हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करती है।
5. ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर को भुगतान उपरांत ''मानव कल्याण के लिये धर्म'' संगोष्ठी मद में बची शेष राशि साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में आयोजित किये जाने वाले धर्म–धम्म सम्मलेन जो शाक्त तंत्र में फोकस्ड होगा के संपादन हेतु व्यय की जा सकेगी। इस हेतु आवश्यक मानव संसाधन, विशेषज्ञ सेवायें व अन्य कार्यवाही हेतु कुलपति / कुलसचिव को अधिकृत किया गया।
6. कार्य परिषद् ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर इन्दौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27 अगस्त, 2018 पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया -
   a. वर्तमान में तत्समय के कुलपति एवं कुलसचिव के न होने से उक्त अतिरिक्त कार्यों के किये जाने के मौखिक आदेश का प्रमाणन संभव नहीं है, किंतु उपलब्ध फोटो/वीडियोग्राफी इत्यादि के आधार पर भोजन व्यवस्था हेतु उल्लेखित संख्या को छोड़कर शेष कार्य कराये जाने की पुष्टि हो रही है।

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

b. जिन कार्यों की पुष्टि हो रही है उन कार्यों हेतु निर्धारित राशि का भुगतान कार्यादेश के अभाव में किया जावे।

c. ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर इन्दौर द्वारा प्रस्तुत पत्र में संलग्न फोटोग्राफ से भोजन व्यवस्था हेतु सम्मिलित राशि रू. 18,15,045.00 को छोड़कर शेष रु. 24,37,947.00 के कार्य प्रमाणित हो रहे है।

d. भुगतान योग्य राशि "मानव कल्याण के लिये धर्म" संगोष्ठी मद में प्राप्त राशि में से शेष बची राशि से ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेन्टर, इन्दौर को राशि रू. 24,37,947.00 भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा 14 : विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अनुशंसा अनुसार वेतन नियतन/भुगतान पर विचार।

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

एजेण्डा 15 : कार्य परिषद् से कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों पर विचार :-

निर्णय : कार्य परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर के समान विश्वविद्यालय में महँगाई भत्ता की दर 139 एवं 142 प्रतिशत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. कार्य परिषद् विश्वविद्यालय द्वारा संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि विस्तार हेतु की गई कार्यवाही का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करती है।
3. विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत गैर-शैक्षणिक पदों पर कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अनुशंसा अनुसार वेतन भुगतान का कार्योपरांत अनुमोदन किया जाता है।
4. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग गतिविधियों के संचालन हेतु श्री राजीव सिंह की सेवाएं परामर्शदाता के रुप में लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 16 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

निर्णय : 1. सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को सांची के पास सलामतपुर में आवंटित जमीन में निर्माण/अनुरक्षण कार्यों के भविष्य में संपादन किये जाने

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

को दृष्टिगत रखते हुये साईट ऑफिस ट्यूबबेल खनन, फेन्सिग (प्लान्टेंशन हेतु जिसमें दरें लोक निर्माण विभाग / नगरीय प्रशासन विभाग में प्रचलित दरों अनुसार लागू होगी) हेतु जारी निविदा कार्यों का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।

2. पाली भाषा सर्टिफिकेट कोर्स की निरन्तरता को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।

3. विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता (HRA) प्रदान किये जाने हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

4. विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को चिकित्सा और परिवहन भत्ता प्रदान किये जाने हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

5. विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों / सदस्यों को वास्तविक टेक्सी भाड़ा दिये जाने हेतु शासन से पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

6. विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत सेवकों को अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने को प्रतिबंधित किया जाये।

7. विश्वविद्यालय में नियुक्त एम. फिल. / पी. एच. डी. धारी परिवीक्षाधीन शिक्षकों को अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाये।

8. विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का माह / दिनांक निश्चित किये जाने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार आधुनिक परिपेक्ष्य में भारतीय दर्शन के पुनर्लेखन कार्य के संपादक मंडल को निर्धारित करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

9. विश्वविद्याल में भर्ती किये जाने वाले प्राध्यापकगण / अधिकारियों / कर्मचारियों को पुलिस चरित्र सत्यापन के बाद ही नियुक्ति दिये जाने वाले मामले में निर्णय लिया गया कि शासन के नियमों का पालन किया जावे।

कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक सम्पन्न हुई।

11.10.2018

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
सदस्य-सचिव/कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

11/10/2018

(प्रो. (आचार्य) यज्ञेश्वर एस. शास्त्री)
अध्यक्ष/कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

परिशिष्ट-'तीन

वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु अनुमानित अनुदान प्रस्ताव

क्र.	मद का नाम	राशि (लाख रू. में)
1	कुलपति एवं अन्य (शैक्षणिक / गैर—शैक्षणिक पदो के) अधिकारी / कर्मचारी वेतन—भत्ते	₹ 800.00
2	मजदूरी	₹ 36.00
3	कार्यालयीन व्यय	₹ 50.00
4	यात्रा व्यय	₹ 20.00
5	भवनों एवं परिसरों का किराया (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	₹ 150.00
6	अचल संपत्ति का किराया (परिसर / छात्रावास / अतिथिगृह)	₹ 25.00
7	विद्युत एवं जल व्यवस्था	₹ 30.00
8	बीमा (स्टॉफ एवं विश्वविद्यालयीन सामग्री)	₹ 25.00
9	फर्नीचर एवं उपस्कर क्रय	₹ 50.00
10	सॉफ्टवेयर क्रय एवं रखरखाव, वेवसाईट विकास तथा संधारण	₹ 50.00
11	कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना, वाई—फाई, आई.टी. उपकरण क्रय एवं रखरखाव सहित	₹ 150.00
12	परिसर की अन्य सुविधाओं का विकास एवं रखरखाव	₹ 40.00
13	छात्रावास, अतिथिगृह एवं मेस में सुविधाओं का विकास	₹ 20.00
14	औषधालय में उपकरण / दवाईयों तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय	₹ 15.00
15	वाहन क्रय, वाहन किराया, पीओएल एवं वाहन मरम्मत	₹ 25.00
16	संचार सेवाएं — फोन, फैक्स, ईमेल एवं इन्टरनेट सहित	₹ 20.00
17	परिसर, फूल, पौधे, उद्यान विकास	₹ 50.00
18	पुस्तकालय की स्थापना, पुस्तक एवं पुस्तकालय सामग्री क्रय	₹ 100.00
19	विधिक व्यय / शुल्क	₹ 10.00
20	प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम संबंधी व्यय	₹ 50.00
21	विजिटिंग प्रोफेसर / अतिथि शिक्षकों का मानदेय	₹ 50.00
22	पीएचडी, एम.ए. अन्य स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम (विद्या विशेषज्ञों के मानदेय एवं मार्ग व्यय सहित)	₹ 50.00
23	विशेष संवाद श्रृंखला	₹ 100.00
24	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम	₹ 25.00

25	शैक्षणिक भ्रमण एवं विजिटिंग प्राध्यापक शुल्क	₹ 20.00
26	अकादमिक परियोजनाओं पर व्यय	₹ 250.00
27	अभिनव परियोजना हेतु अनुदान	₹ 25.00
28	छात्र कल्याण	₹ 10.00
29	छात्रों की छात्रवृत्ति एवं अन्य शुल्क माफी की प्रतिपूर्ति	₹ 120.00
30	परीक्षा / साक्षात्कार / आरडीसी	₹ 50.00
31	विश्वविद्यालय परिसर विकास का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु कंसलटेंसी फीस	₹ 1,000.00
32	विश्वविद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं का विकास् नवीन भवन निर्माण (सिविल एवं इलेक्ट्रीकल)	₹ 10,000.00
33	जनसम्पर्क (ब्रांडिंग एवं प्रमोशन सहित) एवं विज्ञापन	₹ 100.00
34	कार्यालयीन सामग्री का आकल्पन एवं मुद्रण	₹ 20.00
35	प्रदर्शनी सामग्री का आकल्पन एवं विकास	₹ 30.00
36	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का व्यय	₹ 25.00
37	इंटीग्रेटेड हीलिंग केन्द्र का व्यय	₹ 50.00
38	सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियां	₹ 20.00
39	जर्नल मैगजीन न्यूज लैटर तथा अन्य का प्रकाशन	₹ 50.00
40	समितियों की बैठक (सलाहकार समिति, साधारण परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति)	₹ 25.00
41	राष्ट्रीय सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन पर व्यय	₹ 200.00
42	अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन पर व्यय	₹ 250.00
43	पूर्व वर्ष की देनदारियां	₹ 25.00
44	भर्ती	₹ 25.00
45	आकस्मिक व्यय	₹ 50.00
	योग	**₹ 14,286.00**
	स्वयं के स्रोतों से संभावित आय	**₹ 15.00**
	महायोग	**₹ 14,271.00**